

30-5-29

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम पेशी एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। आज यह पत्र/प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर निला लेख भण्डार अलपर जमा करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नामराना (अलपर) चण्ड

